न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट–रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

निगरानी 172-III-15

TWENTY RUPEES

Rs-20/-

846
18.12.14

1– गोविन्द प्रसाद तनय इन्द्रजीत ब्रा0

2– उग्रसेन तनय रामप्रसाद ब्रा0

दोनो निवासी ग्राम बुदामा पोस्ट उमरी गोविन्दपुर थाना सोहागी, तह0 त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

––––––निगरानीकर्ता

बनाम्

उदयराज तनय सत्यनारायण ब्रा0 निवासी ग्राम बुदामा पोस्ट उमरी गोविन्दपुर थाना सोहागी, तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0

––––––––गैरनिगरानीकर्ता

श्री... एस.एन. मिश्रा .एड के द्वारा आज दिनांक 18-12-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण कमांक 73ए–27अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 31/10/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई

मान्यवर

क्रमांक 4215
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 12-1-15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त तिववरण इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्ता ने तहसीलदार बृत्त रायपुर तह0 त्योथर के न्यायालय में ग्राम बुदामा तहसील त्योथर की भूमि नं0 237रकवा 0.05ए. 335 रकवा 1.23ए., 355 रकवा 15.79ए. 364 रकवा 2.83ए, 433/1क रकवा 2.17ए., कुंल किता 5 जुंमला रकवा 22.07 ए. के

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हो सकेगा । गोविन्द के अधिवक्ता की विचारण न्यायालय में उपस्थिति के बावजूद यदि गोविन्द को अपने अधिवक्ता से जानकारी नहीं मिली हो, तो भले ही यह जानकारी नहीं मिली होने की संभावना कितनी ही कम हो, अधिवक्ता से जुड़े कारण से पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं होना पड़ना चाहिए ।	
	ऐसा में SDO त्योंथर को उपरोक्त निर्देश के साथ मैं यह अपील आंशिक रूप से स्वीकृत कर समाप्त करता हूँ ।	
	SDO अपना नवीन आदेश, उभयपक्ष को पक्षसमर्थन का युक्तियुक्त अवसर देते हुए एवं आवश्यक जाँच, परीक्षण, साक्ष्य, विवेचना आदि करते हुए, इस रा. मं. के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 4 माह के भीतर, बोलते स्वरूप में पारित करना सुनिश्चित करें ।	
	आदेश पारित ।	
	पक्षकार एवं SDO, त्योंथर सूचित हों ।	
	प्रकरण समाप्त ।	
	दा. द. हो ।	
	(हस्ताक्षर) 11.1.16 (सदस्य)	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 172-III/15 ..... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-1-16	मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं नस्ती के अभिलेख का अध्ययन किया। इनके प्रकाश में SDO त्योंथर के आक्षेपित आदेश दि. 31-10-14 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने उभयपक्ष के तर्क सुनकर और आधारों का उल्लेख कर अपना अपील अवधि-बाधित होने का निर्णय पारित तो किया है, किन्तु उसमें निगराकार के इस तर्क के बिन्दु की विवेचना नहीं की कि विषयांकित बटवांरा पुल्ली वास्तविक थी या उस पर निगराकार गोविन्द के फर्जी हस्ताक्षर बने थे। अतः मैं SDO त्योंथर को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के विषयांकित प्र. क्र. 73 अ 27/अपील/12-13 पुनः खोलें, एवं बटवारा पुल्ली वास्तविक होने या उसपर गोविन्द के हस्ताक्षर फर्जी होने संबंधी जाँच, विवेचना एवं निष्कर्ष का हवाला भी सम्मिलित करते हुए नए सिरे से अपना निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करें। ऐसा करने से बटवारा पुल्ली पर गोविन्द के हस्ताक्षर बने होने के बावजूद गोविन्द द्वारा बटवारें की जानकारी नहीं होने की बात का समाधान	

11-1-16

[क्र. प. उ.